FORM NO. III

कार्यवाहकाम

(नियम- 28)

अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुडामालानी

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 प्रदीप पुत्र मोहनलाल 2 कमलिन्द पुत्र मोहनलाल नाबालिग संरक्षक माता श्रीमती कमला पत्नी मोहनलाल 3 श्रीमती कमला पत्नी मोहनलाल जातियान गोदारा निवासी ग्राम कुम्पा माल की ढाणी तहसील गुडामालानी		1 कौसलाराम पुत्र प्रभुराम 2 मोहनलाल पुत्र कौसलाराम 3 मलाराम पुत्र कौसलाराम 4 पुनमाराम पुत्र प्रभुराम जाति गोदारा निवासी ग्राम कुम्पा माल की ढाणी 5 तहसीलदार एवं राजस्वीय गुडामालानी / आदेश

किस्म मुकदमा धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. मुकदमा नं. 153/2[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2[illegible].2020	प्रार्थीगण प्रदीप वगैरह की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री रामजीवन विश्नोई द्वारा विप्रार्थीगण कौसलाराम वगैरह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर में तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 हिन्दू विधि से शासित हैं एवं पक्षकारान का संयुक्त हिन्दू परिवार है। प्रार्थीगण का विप्रार्थी संख्या 1 के पिता कौसलाराम अर्थात प्रार्थीगण के दादाजी प्रभुराम की पैतृक खातेदारी भूमि ग्राम नयाकुआ पटवार हल्का [illegible] की ढाणी तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 11-00 बीघा, खसरा नम्बर 34/4 रकबा 11-10 बीघा की अवस्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के हक-हिस्सा जन्म से ही निहित है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की हक हिस्से की भूमि का बेचान कर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का भी बेचान व गिरवी आदि रखकर प्रार्थीगण को उनके पैतृक हक-हिस्से से महरूम करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण ने अपने हक अधिकारों की हिफाजत व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा न्यायालयश्री में प्रस्तुत किया गया है। जिसके निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरुद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में उक्त वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम से खातेदारी में दर्ज है। वकील प्रार्थीगण की बहस अनुसार एवं वादपत्र में प्रस्तुत वंशावली के अनुसार प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र होने से प्रार्थीगण का उक्त पैतृक आराजी में हक जन्म से निहित होते हैं इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। वकील प्रार्थीगण की बहस अनुसार विप्रार्थी संख्या उक्त आराजी को बेचान कर प्रार्थीगण को उनके हकों से महरूम करने पर आमादा होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विप्रार्थी संख्या 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब होता है तो प्रार्थी[illegible] का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आपाती तौर पर स्वीकार[illegible] आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को [illegible] जाता है कि मौजा नयाकुआ [illegible] तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर [illegible] 34/4 रकबा 11-10 बीघा की भूमि [illegible] जाए एवं वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक प्राप्त कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.01.2020 को पेश हो।	प्रतिलिपि 1 तहसीलदार गुडामालानी 2 प्रार्थीगण विप्रार्थीगण

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर गुडामालानी

सहायक कलक्टर गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:22:27 IST
Reason: SelfAttested

29/11/23	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा 18/12/23 को पेश हो।
20/12/23	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा 19.3.24 को पेश हो।
19/03/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील याचिका उर्फ निगरानीकर्ता [illegible] [illegible] दिलाई गई [illegible] [illegible] के [illegible] देने के निगरानीकर्ता के विरुद्ध [illegible] [illegible] हो [illegible] [illegible] 18/03/24 को पेश हो। [illegible]
10/07/24	[illegible] हुई। वकील याचिका [illegible] याचिका के पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] 22/11/2021 [illegible] के निगरानी तक [illegible] (Confirm) नहीं जाती है। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:22:27 IST
Reason: SelfAttested